रोहित आदि बनाम जिरदावी प्र०ज० 250/2023

26/7/2024 वकुलाए फरियैन उपस्थित। वाद सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वाद खारिज किये किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर दाखिल फाईल किया जावे। पत्रावली नकल से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रतनपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.31 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :–258/2023 अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

1. रोहित पुत्र औमप्रकाश जाति जाजू साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (फौत) वारीसः–
   1/1 आनंदी देवी पत्नी औमप्रकाश जाति जाजू निवासी रावतसर।
   1/2 मिनाक्षी पत्नी रोहित जाति जाजू निवासी रावतसर।
   1/3 भूमि पुत्री रोहित नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मिनाक्षी पत्नी रोहित जाति जाजू निवासी रावतसर।
   1/4 अक्षरा जाजू पुत्री रोहित नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मिनाक्षी पत्नी रोहित जाति जाजू निवासी रावतसर।
   1/5 गोरी जाजू पुत्री रोहित नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मिनाक्षी पत्नी रोहित जाति जाजू निवासी रावतसर।
2. अरविन्द कुमार पुत्र राजकुमार जाति कुम्हार करड़वाल साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–वादीगण

बनाम

1. गिरदावरी पुत्री रावतारामजाति जाट साकिन बरमसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ
2. मनीराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन बरमसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।
3. शांतिदेवी पुत्री रावतारामजाति जाट साकिन बरमसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ
4. साहबराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन बरमसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।
5. सोना देवी पुत्री रावताराम जाति जाट साकिन बरमसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व पल्लु तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील–वादीगण

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक– 25.07.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त वकील वादीगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बरमसर के खसरा सख्या 161/1 की 1.6820 है0 बारानी भूमि के वादी सं. 1/1 ता 1/5 को ब हिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा व वादी सं. 2 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखत एवं मुहर से जारी किया 25.07.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.31 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर